

स्पीड पोस्ट
आंतर्राष्ट्रीय

संख्या-6/एफ1 305/16 श्र0सं0 84

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रपत्र,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक : 4.10.16

विषय: मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार उप मुख्य शीर्ष 01-श्रम कानून शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मॉड सं०-26-उप शीर्ष 0104-बाल श्रमिक तंत्र का मुहूर्तकरण (विषय कोड-पी० 2230017890104) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय सर्वोत्तरादेश संख्या 2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में आगू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वासि-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रु० 5000/- (रुपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	समस्तीपुर	02	10000	श्रम अधी०, समस्तीपुर के पत्रांक 840 दिनांक-22.08.16 के आलोक में (19.08.16 को विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए)
कुल योग			02	10000	

कुल आवंटित राशि रूपये दस हजार मात्र ।

- मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.03.98 के आलोक में है ।
- एक आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाया यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभूजन,

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक 6/एफ1-305/16 श्र0सं0-

84

पटना, दिनांक 4.10.16

प्रतिनिधि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

जापांक-६/एफ१-३०५/१६ श्र०सं०- ८५ पटना, दिनांक ५.१०.१६

श्रमपत्र
संख्या

प्रतिविधि: प्रधान मन्त्रि के आप्त मन्त्रि, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/
*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक /श्रमायुक्त के
मन्त्रि, पटना/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-२ मन्त्रि पत्र / महायुक्त श्रमायुक्त
(सहायी पदाधिकारी, मुख्यालय) एवं प्रशाखा-०१ श्रम पत्र जो उनके री.म.पै.सं. ०७ (श्रम पत्र) दि.३०.०८.१६
के आशोक में / प्रशाखा-६, श्रम पत्र एवं व्यव विवरणों शाखा, प्रशाखा-०६ का सुप्रसार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

२. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संभारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-०१) द्वारा किया जायेगा।

२
३०/०९/१६
(गोपाल नारायण)
श्रमायुक्त, बिहार।